प्रारूप

2805

बिहार सरकार

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा पटना–800014

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION 2005 - 2012

राज्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक ध्यान दें !

राज्य के प्रत्येक जिले में अवस्थित FRU संचालन हेतु EmOC (Emergency Obstetric Care) एवं LSAS (Life Saving Anaesthetic Skills) प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए इच्छुक चिकित्सकों (नियमित एवं संविदा) से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। ये प्रशिक्षण, क्रमशः 16 सप्ताह एवं 18 सप्ताह का मेडिकल कॉलेज में दिया जायेगा।

चिकित्सकों के लिए अहर्ताएँ निम्नवत हैः–

1. चिकित्सक संविदा अथवा नियमित सेवा में कार्यरत होने चाहिए।
2. चिकित्सक केवल MBBS डिग्रीधारी होने चाहिए, विशेषज्ञ नहीं।
3. चिकित्सक द्वारा पूर्व में EmOC अथवा LSAS प्रशिक्षण नही लिया गया हो।
4. राज्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक जिनकी सेवा 10 वर्ष शेष हो (नियमित चिकित्सक हेतु)।
5. FRU में पदस्थापित चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. प्रशिक्षणोपरान्त चिकित्सकों को दिये गये प्रशिक्षण अनुरूप FRU में कार्य करना अनिवार्य होगा।
7. 16 सप्ताह के EmOC प्रशिक्षण हेतु महिला चिकित्सक को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. प्रशिक्षण हेतु चयनित सभी चिकित्सकों को 5 वर्षो तक इस संकाय अन्तर्गत सेवा देने हेतु एक Bond भरना अनिवार्य होगा।
9. Shortlisted चिकित्सकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा एवं साक्षात्कार में सफल पाये जाने के पश्चात् ही उनको प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जायेगा। चयन का अंतिम निर्णय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का होगा।

उपरोक्त किसी एक प्रशिक्षण के लिए योग्य, इच्छुक चिकित्सक दिनांक : 20.06.2018 तक राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाइट **www.statehealthsocietybihar.org** पर आवेदन कर सकते है। प्रशिक्षण का सारा व्यय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वहन करेगी।

इस बिन्दु पर किसी भी तरह की जानकारी के लिए प्रशिक्षण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय दूरभाष संख्या 09693787800 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 से संध्या 5:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

31/05/18

कार्यपालक निदेशक–सह–
विशेष सचिव, स्वास्थ्य

5/6/18